रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 1—दिसम्बर 7, 2019, शनिवार/ अग्रहायण 10—अग्रहायण 16, 1941
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 1— DECEMBER 7, 2019, SATURDAY/ AGRAHAYANA 10— AGRAHAYANA 16, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.358. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), में सवार हरकारा पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) सवार हरकारा, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. —** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि . —**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. —** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.सवार हरकारा	03* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1**:– आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2** :– रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यकः 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 2. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों 3. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा में दो वर्ष का अनुभव 4. मोटर साइकिल या ओटो रिक्शा का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान से छोटी त्रुटि दूर हटाने के लिए समर्थ होना चाहिए) 5. अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने के लिए योग्यता वांछनीयः गृह रक्षक या सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष सेवा **टिप्पण** :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या समक्ष प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या समक्ष प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- नीति आयोग के समूह "ग" के नियमित कर्मचारियों में से जिसके ना हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से ऐसे नियमित सवार हरकारा/ समूह "ग" कर्मचारी जिन्होंने स्तंभ (7) में विहित सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **भूतपूर्व सैनिक** **प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता।

हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं रखते हों और ऐसे व्यक्तियों का उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पणः-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए-12018/06/2016-प्रशा.III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 4th December, 2019

G.S.R. 358.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Despatch Rider, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider.	3* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government). **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Pass in 10th class from a recognised Board. 2. Possessing a valid driving license for Motor Cycle or Autorickshaw. 3. Two years' experience in driving Motor-cycle or Autorickshaw. 4. Knowledge of Motor Cycle or Autorickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor defects from the vehicle). 5. Ability to read English and Hindi. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.	Not applicable.	Two years.	Deputation/Absorption failing which by direct recruitment. **For Ex-servicemen:** Deputation/re-employment.

Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Group C employees in the NITI Aayog failing which from regular Despatch Rider/Group C employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column(7). **For Ex-Servicemen:** **Deputation/re-employment:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits in column(7) shall also be considered, and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation cases):** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman; 2. Under Secretary (General Administration) – Member; 3. Section Officer (Administration) – Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/06/2016-Adm.III]
ASHOK KUMAR, Under Secy.